न्यायालयः—अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या—10, जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय चौमूँ, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी : श्वेता ढाका (D.J. Cadre)
आपराधिक विविध (जमानत) प्रकरण संख्या :—205/2026
CIS NO. 205/2026 CNR NO.RJJT230006272026

गोकुलराम यादव पुत्र रामपाल यादव, उम्र 47 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट बसवा, यादवों की ढाणी, पुलिस थाना बसवा, जिला दौसा, हाल ठेकेदार फैक्ट्री, भवानी सिलिकेट इण्डस्ट्रीज, प्लॉट नम्बर एफ—175/176, उद्योग विहार, जैतपुरा, पुलिस थाना चौमूँ, जिला जयपुर

——प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य

——अप्रार्थी/अभियोगी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

बसंबंध

(A) प्रकरण का विवरण	
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या एवं दिनांक	374/28.07.2026
पुलिस थाना	चौमूँ, जयपुर पश्चिम
अपराध अंतर्गत धारा	143(4),127(4),146 भारतीय न्याय संहिता, धारा 75,79 किशोर न्याय एवं बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम, 3/14 बालश्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम

(B) अभिरक्षा एवं प्रक्रिया संबंधी अनुपालन	
गिरफ्तारी की तिथि	28.07.2026
अब तक व्यतीत कुल अभिरक्षा अवधि	आठ दिवस

(C) विचारण की स्थिति	
कार्यवाही की वर्तमान अवस्था (अनुसंधान/चालान प्रस्तुत/संज्ञान/आरोप निर्धारण/ विचारण	अनुसंधान

चालान में उल्लेखित कुल अभियोजन साक्षियों की संख्या	–
अब तक परीक्षित अभियोजन साक्षियों की संख्या	–

(D) आपराधिक पूर्ववृत्त			
क्रम संख्या	**प्राथमिकी संख्या एवं पुलिस थाना**	**धाराएँ**	**स्थिति (विचाराधीन/दोषमुक्त/दोषसिद्ध)**
शून्य			

(E) पूर्व जमानत आवेदन	
न्यायालय	NIL
प्रकरण संख्या	NIL
परिणाम	NIL

(F) दण्डात्मक/बलपूर्वक कार्यवाही	
क्या कोई गैर/जमानती वारंट जारी किया गया है?	NIL
क्या अभियुक्त को उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है?	NIL

उपस्थितिः–

1. **श्री महेश देव सैनी,** विद्वान् अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. **श्री सुनील कुमार सैनी, विद्वान अपर लोक अभियोजक**, राज. राज्य की ओर से।
3. **सुश्री/श्रीमती तनिषा शर्मा,** विद्वान अधिवक्ता, पीड़ित बालकों के संरक्षक माता–पिता क्रमशः मेघनाथ, गुड्डू एवं रमा देवी की ओर से।

:: आदेश ::

दिनांकः 05.08.2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त **गोकुलराम यादव** की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत का यह आवेदन इस

न्यायालय में पेश किया गया, जिसकी प्रति विद्वान् अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करवाई जाकर केस डायरी तलब की गई। बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।

<u>प्रकरण के संक्षेप में तथ्यः—</u>

2— अभियोजन मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 28.07.2026 को अशोक कुमार उप निरीक्षक, पुलिस थाना चौमूँ ने वापसी थाना चौमूँ होकर एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि दिनांक 28.07.2026 को समय 2.30 पी.एम. पर रामशरण पुलिस निरीक्षक प्रभारी मानव तस्करी विरोधी यूनिट, जयपुर पश्चिम ने थाना पर जरिये मोबाईल सूचना दी कि उक्त दिनांक को वह व विशाल सिंह, काउंसलर व सईद खान समन्वयक प्रयास जेएसी सोसायटी जयपुर में थानाक्षेत्र में बालश्रम करवाने वालों पर निगरानी कर रहे थे, कि मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई, कि इलाका थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्चों से बालश्रम करवाया जा रहा है। इस सूचना की तस्दीक हेतु थाना हाजा से मदनलाल सहायक उप निरीक्षक को मय संजय कानि. सादा वस्त्रों में तस्दीक हेतु रवाना किया, जो जाप्ता थाने से रवाना होकर रामशरण पुलिस निरीक्षक के पास फैक्ट्री भवानी सिलिकेट इण्डस्ट्रीज जैतपुरा पहुॅचे, जहॉ मदनलाल सहायक उप निरीक्षक ने जरिये मोबाईल कॉल बताया, कि उक्त स्थान पर छोटे नाबालिग बच्चों से सरसों के तेल की फैक्ट्री में पैकिंग व लोडिंग का काम करवाया जा रहा है। इस पर कार्यवाही हेतु वह मय जाप्ता फैक्ट्री भवानी सिलिकेट इण्डस्ट्रीज प्लॉट नम्बर एफ—175/176 उद्योग विहार, जैतपुरा, चौमूँ पहुॅचा, जहॉ पर एन.जी.ओ. टीम में से विशाल सिंह काउंसलर व सईद खान समन्वयक को गवाह मामूर कर फैक्ट्री में चैक किया गया, तो चार 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बालक मशीनों द्वारा सरसों का तेल पैकिंग करने तथा कार्टून में भरने व ट्रक में माल लोडिंग करते हुए मिले तथा एक व्यक्ति हाथ का इशारा करते हुए चारों बच्चों से काम करवाता हुआ मिला, जिस पर फैक्ट्री का नजरी निरीक्षण कर बालकों से पूछताछ की गई, तो चार नाबालिग बालकों ने फैक्ट्री में सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक सरसों के तेल की पैकिंग व लोडिंग करने का काम करना तथा काम के बदले 12,000रूपये प्रतिमाह सैलेरी मिलना बताया तथा पूछने पर अपना नाम छोटी पुत्र गुड्डू

उम्र 16 वर्ष, शिवा पुत्र रामलखन उम्र 14 वर्ष, विकास पुत्र मेघनाथ उम्र 17 वर्ष एवं नीलेश राजपूत पुत्र बृजेश उम्र 14 वर्ष निवासीयान् उत्तरप्रदेश हाल श्रमिक फैक्ट्री भवानी सिलिकेट इण्डस्ट्रीज होना बताया। मौके पर उपस्थित बालकों से काम करवा रहे व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना नाम गोकुलराम बताया तथा पूछताछ में मौके पर उपस्थित बालक छोटी, शिवा व विकास ने उक्त व्यक्ति गोकुलराम को अपना ठेकेदार बताया तथा बालक निलेश राजपूत ने अपना ठेकेदार राजू स्वामी होना बताया तथा यह भी बताया कि ठेकेदार गोकुलराम यादव व राजू स्वामी उनसे सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक फैक्ट्री में सरसों के तेल की पैकिंग व लोडिंग का काम करवाते हैं व उन्हें कहीं जाने भी नहीं देते तथा समय पर खाना भी नहीं खाने देते हैं तथा सैलेरी भी समय पर नहीं देते। शख्स गोकुलराम यादव से पूछताछ करने पर बताया कि वह व राजू स्वामी इन बच्चों से काम करवाते हैं तथा फैक्ट्री मालिक के बारे में पूछने पर मालिक सुनील जैन होना बताया तथा बताया कि काम का दबाव ज्यादा होने के कारण बच्चों से जबरन शारीरिक श्रम करवाना पड़ता है। ठेकेदार राजू स्वामी के बारे में पूछने पर काम से फैक्ट्री से बाहर गया होना बताया। शख्स गोकुलराम व राजू स्वामी द्वारा नाबालिग बालकों से सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक फैक्ट्री में सरसों के तेल की पैकिंग व लोडिंग काम काम करवाना, बाहर नहीं जाने देना, समय पर खाना नहीं खाने देना व एक ही जगह पर लगातार परिरूद्ध करना तथा प्रवंचना देकर नाबालिग बालकों को कठिन काम में नियोजित करना, बच्चों की देखरेख व संरक्षण का ध्यान नहीं रखना, बच्चों को शारीरिक व मानसिक कष्ट पहुॅचाना जुर्म धारा 143(5),127(4),146 भारतीय न्याय संहिता व 75,79 किशोर न्याय एवं बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम व धारा 3/14 बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम का अपराध घटित होना पाये जाने पर बाल श्रमिकों को दस्तयाब किया गया। मौके पर उपस्थित मुलजिम गोकुलराम को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही कर दस्तयाबशुदा चार बाल श्रमिकों को जरिये फर्द सईद खान समन्वयक प्रयास जेएसी सोसायटी जयपुर को अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने हेतु व संरक्षण हेतु सुपुर्द किया गया..... इत्यादि।

3— उक्त आशय रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना चौमूँ, जिला जयपुर पश्चिम पर अभियोग संख्या 374/2026, अंतर्गत धारा 143(5),127(4),146 भारतीय न्याय संहिता व 75,79 किशोर न्याय एवं बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम व धारा 3/14 बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 143(4),127(4),146 भारतीय न्याय संहिता व 75,79 किशोर न्याय एवं बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम व धारा 3/14 बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या—10, जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय चौमूँ द्वारा दिनांक 30.07.2026 को खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रस्तुत किया है।

<u>दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कः—</u>

4— विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस के दौरान जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे पूर्णतया झूँठा फॅसाया है। उनका यह भी तर्क रहा कि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से फर्द के साथ पीड़ित बालकों के स्कूल की मार्कशीट और पीड़ित बालक शिवा की माता रमा देवी, पीड़ित बालक छोटू के पिता गुड्डू तथा पीड़ित बालक विकास के पिता मेघनाथ के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं तथा ये सभी न्यायालय में भी उपस्थित आये हैं और बालकों की जन्म तिथि के अनुसार उनके बालिग होने और पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मजदूरी करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और न्यायालय में उक्त कथन भी किये हैं। ऐसी स्थिति में ना तो किसी प्रकार की मानव तस्करी का आरोप माना जा सकता है और नाबालिग बालकों से जबरन श्रम करवाना, उन्हें परिरूद्ध करना, कठित काम में नियोजित करना और मानसिक कष्ट पहुॅचाना भी नहीं माना जा सकता है। उनका यह भी तर्क रहा कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य कोई पूर्ववर्ती आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध नहीं है, वह आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान/अन्वीक्षा में

समय लगने की पूर्ण संभावना है। उचित जमानत मुचलके पेश करने को तैयार व तत्पर हैं। अन्त में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का निवेदन किया।

5— विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया। नाबालिग बालकों की आयु के संबंध में उनका तर्क रहा कि उनकी आयु उनके आधार कार्ड में दी गई जन्म तिथि के आधार पर मानी गई है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 143(4),127(4),146 भारतीय न्याय संहिता व 75,79 किशोर न्याय एवं बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम व धारा 3/14 बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम के गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप अब तक के अनुसंधान से प्रमाणित पाये जाने का कथन करते हुए अंत में जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। तथा अपने समर्थन में फर्द के साथ पीड़ित बालकों के आधार कार्ड की प्रतियॉ प्रस्तुत की।

6— न्यायालय में दरियाफ्त किये जाने पर अपर लोक अभियोजक और अनुसंधान अधिकारी ने यह भी स्वीकार किया है कि अभी तक पीड़ित बालकों के धारा 180 व 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कथन लेखबद्ध नहीं किये गये हैं।

7— पीड़ित बालकों के संरक्षक/माता—पिता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर पीड़ित बालक विकास कुमार की कक्षा VI की मार्कशीट, परिवार राशन कार्ड की प्रतियॉ एवं बालक शिवा के माता रमा देवी, बालक छोटू के पिता गुड्डू एवं बालक विकास कुमार के पिता मेघनाथ के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं तथा कथन किया है कि बालक शिवा, छोटू एवं विकास बालिग हैं तथा किसी प्रकार की मजदूरी का कार्य नहीं करते, घूमने फिरने के लिये आये थे और अन्त में प्रार्थना पत्र का न्यायोचित निस्तारण करने का निवेदन किया।

8— उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। फर्द के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं शपथ पत्रों का अवलोकन किया।

<u>न्यायालय का मत एवं निष्कर्ष</u> :—

9— केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध फैक्ट्री भवानी सिलिकेट इण्डस्ट्रीज प्लॉट नम्बर एफ—175/176

उद्योग विहार, जैतपुरा, चौमूँ में चार नाबालिग बालकों से सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक फैक्ट्री में सरसों के तेल की पैकिंग व लोडिंग काम काम करवाना, बाहर नहीं जाने देना, समय पर खाना नहीं खाने देना व एक ही जगह पर लगातार परिरूद्ध करना तथा प्रवंचना देकर नाबालिग बालकों को कठिन काम में नियोजित करना, बच्चों की देखरेख व संरक्षण का ध्यान नहीं रखना, बच्चों को शारीरिक व मानसिक कष्ट पहुँचाने का अपराध कारित करने के संबंध में अभियोग पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 143(4),127(4),146 भारतीय न्याय संहिता व 75,79 किशोर न्याय एवं बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम व धारा 3/14 बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम में आरोप प्रमाणित पाया गया है।

10— केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में दौराने अनुसंधान पीड़ित बालकों के धारा 180 व 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कथन लेखबद्ध नहीं किये गये हैं, न्यायालय में दरियाफ्त किये जाने पर अपर लोक अभियोजक और अनुसंधान अधिकारी ने उक्त तथ्य स्वीकार किया है। न्यायालय के समक्ष पीड़ित बालकों की आयु के संबंध में पीड़ित बालकों के माता—पिता ने न्यायालय में उपस्थित होकर बालक शिवा, छोटू एवं विकास कुमार का बालिग होना प्रकट किया है और इस संबंध में स्वयं के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये हैं। हॉलांकि अभियोजन की ओर से बालकों के आधार कार्ड के आधार पर उनके नाबालिग होने का कथन किया है, किन्तु केस डायरी पर उपलब्ध साक्ष्य से नाबालिग बालकों की मानव तस्करी के संबंध में प्रथम दृष्ट्या कोई स्पष्ट साक्ष्य मौजूद नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य कोई पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड होना भी दृष्टिगत नहीं होता है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रकरण में दिनांक 28.07.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अनुसंधान/विचारण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

11— अतः प्रकरण के उपरोक्त समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अनुसंधान/अन्वीक्षा में लगने वाली संभावित समयावधि को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण के गुण एवं दोष पर अपना कोई भी अभिमत व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना इस न्यायालय के विनम्र मत में न्यायोचित प्रतीत होता है।

12— परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त **गोकुलराम यादव** की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत हस्तगत जमानत आवेदन एतद्द्वारा स्वीकार कर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/—रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये) का बंधपत्र और 25,000—25,000/—रूपये (अक्षरे पच्चीस—पच्चीस हजार रूपये) की दो सक्षम मौतबीर जमानतें निम्नांकित शर्तो सहित पेश कर तस्दीक करा देवे किः—

1. अभियुक्त दौराने विचारण प्रत्येक पेशी पर व न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर नियमित रूप से उपस्थित होगा,
2. अभियुक्त अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा,
3. अभियुक्त प्रत्यक्षतः व अप्रत्यक्षतः प्रकरण के गवाहान को कोई उत्प्रेरणा या धमकी नहीं देगा,
4. न्यायालय की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा,

तो उसे **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 374/2026, पुलिस थाना चौमूँ,** जयपुर पश्चिम में जमानत पर रिहा कर दिया जावे। केस डायरी लौटाई जावे।

13— **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश Repolicy strategy for grant of Bail SMWP (Criminal) No. 04/2021** में प्रदत्त निर्देशानुसार इस आदेश की प्रति जरिये ई—मेल केन्द्रीय कारागृह, जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर—द्वितीय को नियमानुसार प्रेषित की जावे।

(श्वेता ढाका)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या—10
जयपुर महानगर—द्वितीय, मुख्यालय चौमूँ

14— आदेश आज दिनांक **05.08.2026** को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित मुद्रांकित उद्घोषित किया गया।

(श्वेता ढाका)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या—10
जयपुर महानगर—द्वितीय, मुख्यालय चौमूँ